न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :— 220 / 2020—21

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा — 46)

रंथु भेंगरा — विक्रेता

आशा रोनिका किचिंगिया — क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
23.11.20	**आदेश**	

आवेदक रंथु भेंगरा पिता जितुराय भेंगरा ग्राम—टाटी भण्डार टोली, थाना तोरपा, जिला खूँटी ने आशा रानिका किचिंगिया पिता महानंद पौल किचिंगिया ग्राम—गुटुहातु, थाना तोरपा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
एरमेरे	63	24	409	0.30

अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 717 दिनांक 12.11.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी नहीं के कारण भूमि बिक्री हेतु अनुशंसा नहीं की गयी है।

अतः अंचल अधिकारी, तोरपा द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

23/11/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

23/11/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।